1. In the court of Abhishek K. Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 528/2026, dt. 18.03.2026, Sheikh Osama vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>जमानत आवेदन संख्या–528/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. शेख ओसामा वल्द शकील अहमद उम्र करीब 25 वर्ष
ग्राम– शेखटोली गुलरिया, थाना–मुफ्फसिल, जिला–पूर्वी चम्पारण.....आवेदक ।
बनाम
बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री मुकेश प्रसाद ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

18.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त शेख ओसामा की ओर से मुफ्फसिल थाना कांड संख्या–430/2025, विचारण वाद संख्या– 3584/2026 धारा– 126(2), 115(2), 316(2), 318(4), 352, 351(2)/3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 17.02.2026 से कारा में है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक अरसे आजम का कथन है कि शेख ओसामा, शेख शकील अहमद के द्वारा उससे जालसाजी करके जमीन के कारोबार में शेयर रखने के लिए एक लाख पंचानबे हजार रूपया कैश और तीन लाख चौबीस हजार चार सौ छियतर रूपया नेट बैकिंग के माध्यम टोटल पॉच लाख उन्नीस हजार चार सौर छिहतर रूपया ले लिया। पिछले आठ महीना से लगातार रूपया वापस देने का डेट दे रहा था रूपया नहीं मिलने पर वह दिनांक 30.06.2025 को उसके घर पैसा मांगने गया तो पहुँचते ही वह शेख ओसामा से रूपया मांगा, मांगते ही वो कहने लगा कोई रूपया नहीं है, उसके यहॉ उसका रूपया मांगने दुबारा उसके दरवाजा पर आना भी नहीं उसे उसके बारे में मालूम नहीं है कि वह पूर्व में 6 महीना जेल में रह चुका है और जिला के बड़े–बड़े अपराधी के साथ उसका उठना बैठना है। उसके द्वारा इस बात का

विरोध करने पर इसी बीच शकील अहमद उसे गाली देते हुए मारपीट करने लगा और उसके गले से सोना का चैन नोच लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए कहने लगा रूपया नहीं देगा, वह भू माफिया है उसे जान से मरवा देगा।

जमानत आवेदन की कंडिका–2 में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध तुरकौलिया थाना कांड संख्या–749/2019 दर्ज है। इसके सिवाय अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 17.02.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि प्राथमिकी तीन दिन के विलम्ब से दर्ज कराया गया है। आवेदक निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उसे गंदी ग्रामीण राजनीति एवं पूर्व विवाद के कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदक को पुलिस द्वारा धारा– 35(3) बी.एन.एस.एस. का लाभ मिल चुका है। संज्ञान के पश्चात् आवेदक की यह प्रथम उपस्थिति है। आवेदक को विद्वान विचारण न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। सूचक द्वारा आवेदक के पिता के विरूद्ध स्वत्व वाद संख्या– 154/2025 दाखिल किया गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । आवेदक के विरूद्ध सूचक से बेईमानी व धोखाधड़ी करके पॉच लाख उन्नीस हजार चार सौ छिहतर रूपया का आपराधिक न्यास भंग करने एवं गाली–गलौज तथा मारपीट करने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका–16 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज होना अंकित नहीं है। कांड दैनिकी की कंडिका–19 के अनुसार आवेदक को धारा– 35(3) बी.एन.एस.एस. का लाभ मिल चुका है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित धाराओं में अधिकतम सात साल के सजा का प्रावधान है। आवेदक दिनांक 17.02.2026 से कारा में निरूद्ध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति, एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त शेख ओसामा की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/—रु. के बंध—पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक विचारण में सहयोग करेगा।

लेखापित

ह0/—
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 18.03.2026